



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक- 08.11.2024

**विषय:- थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा बिजली केबल ड्रम चोरी की घटना का अनावरण, कुल 06 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद ड्रम मय बिजली केबल, 01 अदद डीसीएम वाहन, 01 अदद हाइड्रा (क्रेन) व 1500 रुपया नगद बरामद।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट के नेतृत्व में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 392/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 व बढोत्तरी धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित कुल 06 नफर अभियुक्तगण 1. चंदन चौहान पुत्र लक्ष्मन चौहान निवासी ग्राम खेवली भतसार थाना जंसा जनपद वाराणसी 2. अमित मिश्रा पुत्र इन्द्रजीत मिश्रा निवासी ग्राम बरवाँ थाना सिंधौरा जनपद वाराणसी 3. अभिषेक सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह निवासी ग्राम बलुआ थाना जिगना जनपद मिर्जापुर 4. विनोद कुमार चौबे पुत्र वाचस्पति चौबे निवासी ग्राम भगीरथपुर थाना कछवा बाजार जनपद मिर्जापुर 5. शिवदास पुत्र सियाराम निवासी ग्राम बबुआर थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर 6. राकेश कुमार गुप्ता पुत्र रामलाल गुप्ता निवासी ग्राम बितावां थाना तेजी बाजार जनपद जौनपुर को आज दिनांक 08.11.2024 को समय करीब 04.20 बजे ग्राम ऐढे काशीराम कालोनी के पास से केबल ड्रम को हाइड्रा(क्रेन) से एक डीसीएम वाहन पर लोड करते समय गिरफ्तार किया गया तथा मौके से 01 ड्रम मय बिजली केबल कीमत लगभग 4,75,422/- रूपये, 01 अदद डीसीएम वाहन, 01 अदद हाइड्रा (क्रेन), 1500 रुपया नगद बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरादमगी के आधार पर थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### घटना का विवरण-

दिनांक 05.11.24 को वादी मुकदमा श्री चन्दन सिंह पुत्र स्व0 नागेन्द्र प्रसाद सिंह निवासी ग्राम करखियाँव थाना फूलपुर वाराणसी परियोजना प्रबन्धक ओ0पी0सी0 (प्रा0लि0) कम्पनी ने अज्ञात चोरों द्वारा बावन बीघा के पास से कम्पनी के 6 ड्रम केबल चोरी कर लेने के प्रा.पत्र दिया जिसके आधार पर थाना लालपुर पाण्डेयपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ.नि मनीष कुमार चौधरी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

## पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हम लोगो ने मिलकर बावन बीघा गोशाला के पास रोड के किनारे से 06 केबिल ड्रम चुराया था जिसमे से 05 केबिल ड्रमों को हम लोगो ने बेच दिया है। हम लोग साथ मिलकर केबिल ड्रम की चोरी करते है और केबिल ड्रम को बाहर ले जाकर कहीं बेच देते है।

## गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. चंदन चौहान पुत्र लक्ष्मन चौहान निवासी ग्राम खेवली भतसार थाना जंसा जनपद वाराणसी उम्र 21 वर्ष।
2. अमित मिश्रा पुत्र इन्द्रजीत मिश्रा निवासी ग्राम बरवाँ थाना सिंधौरा जनपद वाराणसी उम्र 24 वर्ष।
3. अभिषेक सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह निवासी ग्राम बलुआ थाना जिगना जनपद मिर्जापुर उम्र 20 वर्ष।
4. विनोद कुमार चौबे पुत्र वाचस्पति चौबे निवासी ग्राम भगीरथपुर थाना कछवा बाजार जनपद मिर्जापुर उम्र 35 वर्ष।
5. शिवदास पुत्र सियाराम निवासी ग्राम बबुआर थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर उम्र 29 वर्ष।
6. राकेश कुमार गुप्ता पुत्र रामलाल गुप्ता निवासी ग्राम बितावां थाना तेजी बाजार जनपद जौनपुर उम्र 34 वर्ष।

## गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

ग्राम ऐठे काशीराम कालोनी के पास से, दिनांक 08.11.2024 को समय करीब 04.20 बजे

## बरामदगी का विवरण-

- 1- 01 अदद ड्रम मय बिजली केबल कीमती 4,75,422/- रूपये।
- 2- 01 अदद डीसीएम वाहन नं0- UP 62 AT 4273 ।
- 3- 01 अदद हाइड्रा (क्रेन)-14 नं0-UP65PT0362 ।
- 4- कुल 1500/- रुपया नगद ।

## आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 0392/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 व बढोतरी धारा 317(2) बीएनएस थाना लालपुर पाण्डेयपुर।

## गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विवेक कुमार पाठक थानाध्यक्ष, उ0नि0 मनीष कुमार चौधरी, उ0नि0 रामकेवल यादव, उ0नि0 विद्यासागर, हे0का0 सुरेन्द्र मौर्या, हे0का0 विनोद सिंह, का0 राम प्रकाश सिंह, का0 सूरज तिवारी थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।

